

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
क्र. नं. 115/2018

विपरीत ही वाद फर को डिउरि किम
जाने का निवेदन किम। साथ ही प्रतिवादी
सग। के अधिकार न भी मुताबिक
विमान प्रस्ताव अतिरि डिउरि किम जाने की
सहजगी दी। वास्तु निर्णय छिलम दिनांक
को पेश ही।

08/08/19

पत्रावली पेश। गुरुमान फरिफेन उव०। पत्रावली
समाप्तक के चाल प्रविज्ञानाडाला नं. 22/8/19
को पेश ही।

22-8-19



पत्रावली पेश हुई। गुरुमान उव०
पूर्व में बहल के वसीम वादीगण व
प्रतिवादी सग। के अधिकार न ही
आरत तदधीनदार खचेलस से प्राप्त विमान
सलख कमांड नं. अ. 1/2019/180 दिनांक
29.1.19 के मुताबिक ही वाद फर को अतिरि
डिउरि किम जाने का निवेदन किम
था। विमान प्रस्ताव अतिरि डिउरि
किम जाने। मुताबिक विमान प्रस्ताव अतिरि
डिउरि किम जाने हेतु वादी व प्रतिवादी सग। के
अधिकार सहज ही। अतः मुताबिक प्राथमिक

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

विभाजन प्रस्ताव ही वादीगण का वाद फल
डिजी किया जाता है। प्राथमिक विभाजन
प्रस्ताव क्रमांक भू०अ०/2019/180 दिनांक 29-1-19
निर्णय व डिजी का आग लमसा जाते।
वर्तमानदा (खण्ड) को आदेश दिया जाता है
कि उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही राजस्व
रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कर मित्र बहा
नम्बर डालकर अलग-अलग खातेदारी
दर्ज कर नम्बर में वर्गीकृत करते हुए
वापस रिकार्ड में अलग दरामद करे
इसी मांति डिजी मुक्ति हो। फमावली
प्रथम मुद्रा होकर नम्बर ल कम हो
बाद वर्गीकृत वापस दर्ज हो।

8/22/19
उपरोक्त अधिकारी
खण्ड (बीकर)

डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला
बड़जलारा श्री महीपाल सिंह (आर.ए.एस)

1 भानाराम पुत्र हणमान जाति जाट हाल निवासी ज्ञानपुरा तहसील खण्डेला जिला
सीकर (राज.) - ज्ञानपुरा तहसील खण्डेला जिला
(वादी)

बनाम

- 1 झावरमल पुत्र हणमान जाति जाट हाल निवासी ज्ञानपुरा तहसील खण्डेला जिला
सीकर (राज.)
- 2 मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा बावड़ी।
- 3 मैनेजर बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बावड़ी।
- 4 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज.) - (प्रतिवादीगण)

दावा अन्तर्गत धारा (53,188 आर.टी.एक्ट)

मुकदमा नं0 115 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री महीपाल सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री धूड़सिंह रूलानियां एडवोकेट मिनजानिव मुहई रुबरु मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक प्राथमिक विभाजन प्रस्ताव ही वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। प्राथमिक विभाजन प्रस्ताव कमांक भू अ./2019/180 दिनांक 29.01.2019 निर्णय व डिक्री का भाग समझा जावे। तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कर मिन बटा नंबर डालकर अलग-अलग खातेदारी दर्ज कर नक्शों में तरमीम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। निज.....मुबलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 08 सन 2019 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत.....
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा.....(सीकर)

मुहई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
				मीजान	

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।